

# सार्वजनिक द्युत अधिनियम, 1867

## धाराओं का क्रम

### धाराएं

उद्देशिका ।

1. निर्वचन खण्ड ।
2. अधिनियम का विस्तार करने की शक्ति ।
3. जुआ घर का स्वामी होने या उसे चलाने या उसका भारसाधक होने के लिए शास्ति ।
4. जुआ घर में पाए जाने के लिए शास्ति ।
5. प्रवेश करने और पुलिस को प्रवेश और तलाशी के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति ।
6. संदिग्ध घरों में ताशों आदि के पाए जाने का इस बात का साक्ष्य होना कि ऐसे घर सामान्य जुआ घर हैं ।
7. गिरफ्तार किए गए लोगों पर मिथ्या नाम और पते देने के लिए शास्ति ।
8. जुआ घर चलाने के लिए दोषसिद्धि पर जुए के उपकरणों का नष्ट किया जाना ।
9. दावे के लिए खेलने का सबूत अनावश्यक ।
10. मजिस्ट्रेट का किसी पकड़े गए व्यक्ति से शपथ लेने और साक्ष्य देने की अपेक्षा कर सकना ।
11. साक्षियों का परित्राण ।
12. अधिनियम का कतिपय खेलों को लागू न होना ।
13. सार्वजनिक मार्गों में जुआ खेलना और पक्षियों और पशुओं को लड़ने के लिए छोड़ना ।
14. अपराधों का जिनके द्वारा विचारणीय होना ।
15. पश्चात्कर्ती अपराध के लिए शास्ति ।
16. जुर्माने के एक भाग का इत्तिला देने वाले को संदत्त किया जा सकना ।
17. जुर्मानों की वसूली और उपयोजन ।
18. इस इस अधिनियम के अधीन अपराध दण्ड संहिता के अर्थ के भीतर “अपराध” होंगे ।

# 1 सार्वजनिक द्युत अधिनियम, 1867

(1867 का अधिनियम संख्यांक 3)<sup>2</sup>

[25 जनवरी, 1867]

<sup>3</sup>[संयुक्त प्रान्त, पूर्वी पंजाब, दिल्ली] <sup>4</sup>[और मध्य प्रान्त] में सार्वजनिक जुए और सामान्य जुआ घर चलाने के लिए दण्ड का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

**उद्देशिका**—<sup>5</sup>[संयुक्त प्रान्त, पूर्वी पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रान्त में] सार्वजनिक जुए और सामान्य जुआ घर चलाने के लिए दण्ड का उपबन्ध करना समीचीन है;

अतः एतद्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

**1. निर्वचन खण्ड**—इस अधिनियम में—

6\* \* \* \* \*

“सामान्य जुआ घर”—“सामान्य जुआ घर” से कोई ऐसा घर, दीवारयुक्त अहाता, कमरा या स्थान अभिप्रेत है जिसमें ताश, पासा, तख्ती या जुआ खेलों के अन्य उपकरण, उस व्यक्ति के जो ऐसे घर, अहाते, कमरे या स्थान का स्वामी, अधिष्ठाता, प्रयोगकर्ता या प्रबन्धक है, चाहे जुआ खेलने के उपकरणों के या उस घर, अहाते, कमरे या स्थान के प्रयोग के लिए प्रभार के तौर पर या अन्यथा रूप से, लाभ या अभिलाभ के लिए रखे जाते हैं या प्रयुक्त किए जाते हैं।

7\* \* \* \* \*

**2. अधिनियम का विस्तार करने की शक्ति**—इस अधिनियम की <sup>8</sup>[धारा 13 और 17] का विस्तार <sup>9</sup>[उक्त सम्पूर्ण राज्यों] पर होगा और राज्य सरकार इसके लिए सक्षम होगी कि वह जब कभी ठीक समझे इस अधिनियम की शेष सभी धाराओं या उनमें से किसी का विस्तार, किसी नगर, कस्बे, उपनगर, रेलवे स्टेशन, थाने और ऐसे स्थान पर जो <sup>10</sup>[राज्यों] के अन्दर ऐसे थाने के किसी भाग से तीन मील से अधिक दूर न हो, शासकीय राजपत्र के तीन आनुक्रमिक अंकों में प्रकाशित की जाने वाली अधिसूचना द्वारा करें और ऐसी अधिसूचना में इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ऐसे नगर, कस्बे, उपनगर या थाने की सीमाएं परिनिश्चित करें और इस प्रकार परिनिश्चित सीमाओं को समय-समय पर परिवर्तित करें।

ऐसे किसी विस्तार की तारीख से किसी नियम का जो विधि का बल रखता हो उतना भाग, जितना उन राज्यक्षेत्रों में प्रचलित हो जिनको ऐसा विस्तार किया गया है और जो इस प्रकार विस्तारित किसी धारा से असंगत या उसके विरुद्ध हो, ऐसे राज्यक्षेत्रों में प्रभावहीन हो जाएगा।

<sup>1</sup> निरसन अधिनियम, 1897 (1897 का 5) द्वारा संक्षिप्त नाम दिया गया।

<sup>2</sup> शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऐक्ट, 1874 (1874 का 14) की धारा 10 द्वारा सतना रेलवे स्टेशन और मध्य प्रान्त (अब मध्य प्रदेश) के जबलपुर जिले की पूर्वी सीमा के बीच स्थित भू-खंडों पर और पंथ पिपलोदा लॉज रेग्युलेशन, 1929 (1929 का 1) की धारा 2 द्वारा पंथ पिपलोदा पर इस अधिनियम को प्रवृत्त घोषित किया गया।

शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऐक्ट, 1874 (1874 का 14) के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित को इसे प्रवृत्त घोषित किया गया :—

कोडगू.....देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1878, भाग 1, पृष्ठ 373।

तराई परगना.....देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1876, भाग 1, पृष्ठ 505।

अधिनियम का संशोधन 1927 के सेन्ट्रल प्राविन्सेस ऐक्ट सं० 3, 1950 के सेन्ट्रल प्राविन्सेस ऐक्ट सं० 25, 1958 के मध्य प्रदेश अधिनियम सं० 23 (अधिसूचना की तारीख से) और 1976 के अधिनियम सं० 47 द्वारा मध्य प्रदेश में, 1976 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं० 30 द्वारा हिमाचल प्रदेश में, 1929 के पंजाब ऐक्ट सं० 1 और 1960 के अधिनियम सं० 9 द्वारा पंजाब में और 1917 के यूनाइटेड प्राविन्सेस ऐक्ट सं० 1, 1919 के यूनाइटेड प्राविन्सेस ऐक्ट सं० 5, 1925 के यूनाइटेड प्राविन्सेस ऐक्ट सं० 1, 1938 के यूनाइटेड प्राविन्सेस ऐक्ट सं० 10 और 1952 के यूनाइटेड प्राविन्सेस ऐक्ट सं० 34 द्वारा उत्तर प्रदेश में किया गया है।

यह अधिनियम जैसा कि अजमेर-मेरवाड़ में विस्तारित था 1953 के अजमेर ऐक्ट सं० 6 द्वारा निरसित किया गया।

इस अधिनियम का विस्तारण 1958 के मध्य प्रदेश अधिनियम सं० 23 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) मध्य प्रदेश में और 1963 के विनियम सं० 11 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव में किया गया।

<sup>3</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा “फोर्ट विलियम प्रेसिडेन्सी के उत्तर-पश्चिमी प्रान्तों तथा पंजाब, अवध में” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>4</sup> 1903 के अधिनियम सं० 1 द्वारा “मध्य प्रान्त तथा ब्रिटिश बर्मा” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>5</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा “फोर्ट विलियम प्रेसिडेन्सी के उत्तर-पश्चिमी प्रान्तों के लेफ्टिनेन्ट-गवर्नर की सरकारों, तथा पंजाब के लेफ्टिनेन्ट-गवर्नर तथा अवध के मुख्य आयुक्त के प्रशासनों तथा मध्य प्रान्त के मुख्य आयुक्त के अधीन रहते हुए क्रमशः राज्यक्षेत्रों में” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 1903 के अधिनियम सं० 1 द्वारा “मध्य प्रान्त के मुख्य आयुक्त तथा ब्रिटिश बर्मा के मुख्य आयुक्त” के स्थान पर अंतिम नौ शब्द प्रतिस्थापित किए गए।

<sup>6</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “लेफ्टिनेन्ट-गवर्नर” तथा “मुख्य आयुक्त” की परिभाषाएं निरसित कर दी गईं।

<sup>7</sup> 1914 के अधिनियम सं० 17 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा “वचन” तथा “लिंग” से संबंधित खण्डों का निरसन किया गया।

<sup>8</sup> 1891 के अधिनियम सं० 12 द्वारा “धारा 13, धारा 17 तथा धारा 18” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>9</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “उक्त प्रान्तों” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>10</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “प्रान्तों” के स्थान पर प्रतिस्थापित जो विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा “उस सरकार या प्रशासन के अधीन राज्यक्षेत्र” के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था।

**3. जुआ घर का स्वामी होने या उसे चलाने या उसका भारसाधक होने के लिए शास्ति**—जो कोई ऐसी सीमाओं के अन्दर जिनको यह अधिनियम लागू होता है किसी घर, दीवारयुक्त अहाते, कमरे या स्थान का स्वामी या अधिष्ठाता या प्रयोगकर्ता होते हुए उसे सामान्य जुआ घर के रूप में खोलेगा, चलाएगा या प्रयुक्त करेगा; और

जो कोई यथापूर्वोक्त किसी घर, दीवारयुक्त अहाते, कमरे या स्थान का स्वामी या अधिष्ठाता होते हुए उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सामान्य जुआ घर के रूप में खोले जाने, अधिष्ठित किए जाने, प्रयुक्त किए जाने या चलाए जाने को जानते हुए और जानबूझकर अनुज्ञा देगा, और

जो कोई यथापूर्वोक्त किसी घर, दीवारयुक्त अहाते, कमरे या स्थान की जो पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए खुला, अधिष्ठित, प्रयुक्त किया या चलाया जाता है, देखरेख या प्रबन्ध करेगा या किसी प्रकार से उसके कारबार के संचालन में सहायता करेगा; और

जो कोई ऐसे घर, दीवारयुक्त अहाते, कमरे या स्थान में प्रायः आने वाले व्यक्तियों के साथ जुआ खेलने के प्रयोजन के लिए उधार या धन देगा,

वह दो सौ रुपए से अनधिक के जुमाने का अथवा भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) में यथापरिभाषित किसी भी भांति<sup>1</sup> के तीन मास<sup>2</sup> से अनधिक की अवधि के कारावास का भागी होगा।

**4. जुआ घर में पाए जाने के लिए शास्ति**—जो कोई, ऐसे किसी घर, दीवारयुक्त अहाते, कमरे या स्थान में ताश, पासे, काउन्टर, धन या जुआ खेलने के अन्य उपकरणों से खेलता हुआ या जुआ खेलता हुआ पाया जाएगा या चाहे धन, पंदयम, दांव के लिए या अन्यथा रूप से खेलता हुआ वहां जुआ खेलने के प्रयोजन के लिए उपस्थित पाया जाएगा वह एक सौ रुपए से अनधिक के जुमाने का अथवा भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) में यथा परिभाषित किसी भी भांति<sup>1</sup> के एक मास<sup>1</sup> से अनधिक की अवधि के कारावास का भागी होगा।

और सामान्य जुआ घर में किसी जुए या खेल के दौरान पाए गए व्यक्ति के बारे में, जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारित किया जाएगा कि वह जुआ खेलने के प्रयोजन के लिए वहां था।

**5. प्रवेश करने और पुलिस को प्रवेश और तलाशी के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति**—यदि किसी जिले के मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट की पूरी शक्तियों से विनिहित किसी अन्य अधिकारी या जिला पुलिस अधीक्षक के पास विश्वसनीय सूचना पर और ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, यह विश्वास करने का कारण है कि कोई घर, दीवारयुक्त अहाता, कमरा या स्थान सामान्य जुआ घर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है;

तो वह ऐसे घर, दीवारयुक्त अहाते, कमरे या स्थान में या तो स्वयं प्रवेश कर सकेगा या अपने वारण्ट द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को, जो ऐसी पंक्ति से नीचे का न हो, जैसी राज्य सरकार इस निमित्त नियत करे, ऐसी सहायता सहित, जैसी आवश्यकता समझी जाए, दिन या रात में और यदि आवश्यक हो तो बलपूर्वक प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा;

और ऐसे सभी व्यक्तियों को जिन्हें वह या ऐसा अधिकारी, अन्दर पाता है चाहे वे उस समय जुआ खेल रहे हों या नहीं या तो स्वयं अभिरक्षा में ले सकेगा या अभिरक्षा में लेने के लिए ऐसे अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा;

और जुआ खेलने के सभी उपकरणों को, और सभी धनों और धनों के लिए प्रतिभूतियों को, और मूल्यवान वस्तुओं को जो वहां पाई जाएं और जिनकी बाबत युक्तियुक्ततः यह संदेह है कि जुआ खेलने के प्रयोजन के लिए उनका प्रयोग किया गया है या प्रयोग किया जाना आशयित है अभिगृहीत कर सकेगा या अभिगृहीत करने के लिए ऐसे अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा;

और ऐसे घर, दीवारयुक्त अहाते, कमरे या स्थान के जिसमें वह या ऐसा अधिकारी प्रवेश कर चुका हो सब भागों की, जब उसके या ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जुआ खेलने के कोई उपकरण उनमें छिपाए हुए हैं और उन व्यक्तियों के शरीर की भी, जिनको उसने या ऐसे अधिकारी ने अभिरक्षा में लिया है, तलाशी ले सकेगा या तलाशी लेने के लिए ऐसे अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा;

और ऐसी तलाशी में पाए गए जुआ खेलने के सभी उपकरणों को अभिगृहीत कर सकेगा या अभिगृहीत करने के लिए और कब्जा लेने के लिए ऐसे अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा।

**6. संदिग्ध घरों में ताशों आदि के पाए जाने का इस बात का साक्ष्य होना कि ऐसे घर सामान्य जुआ घर हैं**—जब कोई ताश, पासे, जुआ खेलने की तख्तियां, वस्त्र, बोर्ड या जुआ खेलने के अन्य उपकरण अन्तिम पूर्ववर्ती धारा के उपबन्धों के अधीन प्रवेश और तलाश किए गए किसी घर, दीवारयुक्त अहाते, कमरे या स्थान में पाए जाते हैं या उन व्यक्तियों में से जो वहां पाए जाएं किसी के पास पाए जाते हैं तब जब तक प्रतिकूल प्रतीत न कराया जाए वह इस बात का साक्ष्य होगा कि ऐसा घर, दीवारयुक्त अहाता, कमरा या स्थान, सामान्य जुआ घर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और उसमें पाए गए व्यक्ति जुआ खेलने के लिए वहां उपस्थित थे यद्यपि मजिस्ट्रेट द्वारा या पुलिस अधिकारी या उसके किसी सहायक द्वारा कोई खेल वहां वस्तुतः देखा न गया हो।

<sup>1</sup> देखिए संहिता की धारा 53।

<sup>2</sup> धारा 3 या धारा 4 के अधीन किसी अपराध की द्वितीय दोषसिद्धि से संबंधित वर्धित दंड के बारे में इस अधिनियम की धारा 15 देखिए।

**7. गिरफ्तार किए गए लोगों पर मिथ्या नाम और पते देने के लिए शास्ति**—यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा प्रवेश किए गए किसी सामान्य जुआ घर में पाया गया कोई व्यक्ति, ऐसे किसी अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर या किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लाए जाने पर, ऐसे किसी अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अपना नाम और पता देने की अपेक्षा किए जाने पर, उसे देने से इन्कार करेगा या उपेक्षा करेगा या कोई मिथ्या नाम या पता देगा तो उसी या किसी अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर यह न्यायनिर्णीत किया जा सकेगा कि वह पांच सौ रुपए से अन्यून की शास्ति ऐसे खर्च सहित, जो मजिस्ट्रेट को युक्तियुक्त प्रतीत हो, संदत्त करे और ऐसी शास्ति और खर्च के संदाय न करने पर या प्रथम बार, यदि मजिस्ट्रेट को यह ठीक प्रतीत हो तो, एक मास से अन्यून की किसी अवधि के लिए कारावास से दण्डित किया जा सकेगा।

**8. जुआ घर चलाने के लिए दोषसिद्धि पर जुए के उपकरणों का नष्ट किया जाना**—किसी व्यक्ति के ऐसे किसी सामान्य जुआ घर चलाने या प्रयुक्त करने या जुआ खेलने के प्रयोजन के लिए उसमें उपस्थित होने के लिए दोषसिद्धि पर सिद्धदोष करने वाला मजिस्ट्रेट उसमें पाए गए जुआ खेलने के सभी उपकरणों को नष्ट किए जाने के आदेश दे सकेगा और धन के लिए सभी या किन्हीं प्रतिभूतियों का और अभिगृहीत की गई अन्य वस्तुओं का जो जुआ खेलने के उपकरण नहीं हैं, विक्रय और धन में संपरिवर्तन करने का और उसके आगमों का, वहां अभिगृहीत सभी धनों सहित, समपहरण का भी आदेश दे सकेगा। अथवा स्वविवेकानुसार आदेश दे सकेगा कि उसका कोई भाग उन व्यक्तियों को लौटा दिया जाए जो उसके लिए पृथक्: हकदार प्रतीत हों।

**9. दावे के लिए खेलने का सबूत अनावश्यक**—किसी व्यक्ति को सामान्य जुआ घर चलाने या किसी सामान्य जुआ घर के प्रबन्ध से संबंधित होने के लिए सिद्धदोष ठहराने के लिए यह साबित करना आवश्यक नहीं होगा कि जुआ खेलता हुआ कोई व्यक्ति धन, पंदयम या दांव के लिए खेलता हुआ पाया गया।

**10. मजिस्ट्रेट का किसी पकड़े गए व्यक्ति से शपथ लेने और साक्ष्य देने की अपेक्षा कर सकना**—किसी मजिस्ट्रेट के लिए जिसके समक्ष ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को लाया जाता है, जिन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रवेश किए गए किसी घर, दीवारयुक्त अहाते, कमरे या स्थान में पाया जाता है यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे किन्हीं व्यक्तियों से अपेक्षा करे कि वे शपथ या प्रतिज्ञान पर अपनी परीक्षा कराएं और किसी ऐसे घर, दीवारयुक्त अहाते, कमरे या स्थान में, किसी विधिविरुद्ध जुए के सम्बन्ध में या ऐसे किसी घर, दीवारयुक्त अहाते, कमरे या स्थान या उसके किसी भाग में, किसी मजिस्ट्रेट या उपरोक्त रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के प्रवेश को निवारित, बाधित या विलंबित करने के प्रयोजन से किए गए किसी कार्य के सम्बन्ध में साक्ष्य दे।

साक्षी के रूप में इस प्रकार परीक्षित किए जाने के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति को, यथापूर्वोक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष परीक्षा करने के लिए लाए जाने पर ऐसे परीक्षित किए जाने से या किसी पश्चात्कर्ती समय पर उसी या किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा या उसके समक्ष अथवा पूर्वोक्त जैसे किन्हीं कार्यों से सम्बन्धित या विधिविरुद्ध जुए से किसी भी प्रकार सम्बन्धित किसी कार्यवाही या विचारण में किसी न्यायालय द्वारा या उसके समक्ष ऐसे परीक्षित किए जाने से अथवा पूर्वोक्त विषयों से सम्बन्धित उससे पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इस आधार पर माफ नहीं किया जाएगा कि उसका साक्ष्य उसे अपराध में फंसाने वाला है।

साक्षी के रूप में परीक्षित किए जाने के लिए इस प्रकार अपेक्षित कोई ऐसा व्यक्ति, जो शपथ या प्रतिज्ञान से या यथापूर्वोक्त किसी प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार करेगा, इसके अधीन होगा कि उससे सभी बातों में वैसे ही बरता जाए जैसे भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की (यथास्थिति) धारा 178 या धारा 179 में वर्णित अपराध करने वाले किसी व्यक्ति से बरता जाता है।

**11. साक्षियों का परित्राण**—कोई ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रतिकूल जुए से संपृक्त होगा और जो जुए से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्धों के भंग के लिए किसी व्यक्ति के विचारण में किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष साक्षी के रूप में परीक्षित किया जाएगा और ऐसी परीक्षा पर जो मजिस्ट्रेट की राय में उन सभी बातों के बारे में, जिनके लिए उसकी इस प्रकार परीक्षा की जाए अपने सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सच्चाई और ईमानदारी से प्रकटीकरण करेगा उक्त मजिस्ट्रेट से उस भाव का एक लिखित प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और ऐसे जुए की बाबत उस समय से पूर्व किए गए किसी कार्य के लिए इस अधिनियम के अधीन सभी अभियोजनों से मुक्त कर दिया जाएगा।

**12. अधिनियम का कतिपय खेलों को लागू न होना**—इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबन्धों की कोई भी बात मात्र-कौशल के लिए कहीं भी खेले गए किसी खेल को लागू नहीं समझी जाएगी।

**13. सार्वजनिक मार्गों में जुआ खेलना और पक्षियों और पशुओं को लड़ने के लिए छोड़ना**—कोई भी पुलिस अधिकारी—किसी ऐसे व्यक्ति को, जो ताश, पासे, काउंटर या जुआ खेलने के किन्हीं अन्य उपकरणों से, जो मात्र-कौशल के खेल से भिन्न किसी खेल में प्रयुक्त किए जाते हैं, धन के लिए या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के लिए किसी सार्वजनिक मार्ग, स्थान या आम रास्ते में जो पूर्वोक्त सीमाओं के अन्दर स्थित हो, खेलता पाया जाए; या

किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किन्हीं पक्षियों को या पशुओं को किसी सार्वजनिक मार्ग, स्थान या आम रास्ते पर जो पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर स्थित हो, लड़ने के लिए छोड़ेगा; या

वहां उपस्थित किसी ऐसे व्यक्ति को, जो पक्षियों और पशुओं की सार्वजनिक लड़ाई में सहायता और दुष्प्रेरण कर रहा हो, वारण्ट के बिना पकड़ सकेगा।

जब ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसे अविलम्ब मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाएगा और वह पचास रुपए से अनधिक के जुर्माने का या एक मास से अनधिक की किसी अवधि के लिए सादे या कठिन कारावास का भागी होगा;

सार्वजनिक मार्ग में पाए गए जुआ खेलने के उपकरणों को नष्ट करना—और ऐसा पुलिस अधिकारी ऐसे जुआ खेलने के सभी उपकरणों को जो ऐसे सार्वजनिक स्थान में या ऐसे व्यक्तियों के पास जिन्हें वह इस प्रकार गिरफ्तार करे, पाए जाएं अभिगृहीत कर सकेगा और अपराधी की दोषसिद्धि पर मजिस्ट्रेट ऐसे उपकरणों को तत्क्षण नष्ट करने का आदेश दे सकेगा ।

**14. अपराधों का जिनके द्वारा विचारणीय होना**—इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों का विचारण किसी ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा जिसकी उस स्थान पर अधिकारिता हो, जहां अपराध किया गया है ।

किन्तु ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे जुर्माने या कारावास के बारे में जितना वह अधिरोपित कर सकता है दण्ड प्रक्रिया संहिता<sup>1</sup> के अधीन अपनी अधिकारिता की सीमाओं के अन्तर्गत अवरुद्ध होगा ।

**15. पश्चात्कर्ती अपराध के लिए शास्ति**—जो कोई इस अधिनियम की धारा 3 या 4 के अधीन दण्डनीय अपराध का सिद्धदोष हो चुकने पर इन धाराओं में से किसी के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का पुनः दोषी होगा वह ऐसे प्रत्येक पश्चात्कर्ती अपराध के लिए उस दण्ड के दुगुने का भागी होगा जिसका भागी वह उसी प्रकार के अपराध के प्रथम बार किए जाने पर होता :

परन्तु वह किसी भी दशा में छह सौ रुपए से अधिक जुर्माने या एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास का भागी नहीं होगा ।

**16. जुर्माने के एक भाग का इत्तिला देने वाले को संदत्त किया जा सकना**—मामले का विचारण करने वाला मजिस्ट्रेट किसी जुर्माने के, जो इस अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन उद्गृहीत किया जाएगा, किसी भाग को, या इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत और समपहरण के लिए आदिष्ट धनों के या वस्तुओं के आगमों के किसी भाग को, इत्तिला देने वाले को संदत्त करने के लिए निदेश दे सकेगा ।

**17. जुर्मानों की वसूली और उपयोजन**—इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित सभी जुर्मानों को दण्ड प्रक्रिया संहिता<sup>1</sup> की धारा 61 द्वारा विहित रीति से वसूल किया जा सकेगा<sup>2\*\*\*</sup> ।

**18. [इस इस अधिनियम के अधीन अपराध दण्ड संहिता के अर्थ के भीतर “अपराध” होंगे ]**—रिपीलिंग ऐक्ट, 1874 (1874 का 16) की धारा 1 तथा अनुसूची, भाग I द्वारा निरसित ।

<sup>1</sup> देखिए अब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) ।

<sup>2</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “और (अंतिम पूर्ववर्ती धारा में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए) ऐसे जुर्माने उस रीति से उपयोजित किए जाएंगे जैसी कि लेफ्टिनेन्ट गवर्नर या मुख्य आयुक्त, यथास्थिति, समय-समय पर निर्दिष्ट करें” शब्द निरसित किए गए ।